न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 95 / 2020

नन्दलाल पुत्र झाबरमल, जाति खाती, निवासी बसावा, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्ट्

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2020 मिसल नं0 59 / 2019 उनवानी राजस्थान सरकार बनाम नन्दलाल न्यायालय तहसीलदार नवलगढ, जिला झुंझुनूं अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:–

1. श्री महेश चन्द्र शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 05.03.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम बसावा मे गैर मु0 जोहड़ा स्थित है, जिसका पुराना खसरा नं0 297 / 3 व नया खसरा नं0 1444 / 937 व अन्य है। उक्त जोहड़े मे स्कूल, शहीद स्मारक, हनुमान जी का मन्दिर तथा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के पुख्ता मकान बने हुए है व जोहड़े मे आबादी बनी हुई है। उक्त जमीन खसरा नं0 1444 / 937 रकबा 0.6500 हैक्टेयर किस्म गैर मु0 जोहड़ मे से 0.25 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे है, जिसके लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिया गया है। प्रार्थी ने नोटिस का जबाब दिया तथा प्रार्थी ने तहसीलदार नवलगढ द्वारा जारी किये गये पट्टे दिनांक 28.05.1984 की नकल प्रस्तुत की जिस पट्टे के के संबंध मे जांच करवाई गई व जांच मे पट्टा सही नहीं पाया गया। माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानकर बेदखल करने का आदेश दिया गया है। न्यायालय तहसीलदार नवलगढ ने अपने निर्णय मे अंकित किया है कि जांच रिपोर्ट के अनुसार अतिक्रमी को तहसीलदार नवलगढ द्वारा जारी 28.05.2984 का पट्टा प्रस्तुत किया गया जो गैर सायल के पिता हनुमान पुत्र श्योजी जाति खाती निवासी बसावा के नाम से जारी किया गया है जिसमे 540 वर्गगज (अतिक्रमित) का अंकन है। न्यायालय तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 05.03.2020 से स्पष्ट है

A-4/2

कि जांच रिपोर्ट पट्टा सही पाया गया है, पट्टे को आज तक खारिज नहीं किया गया है। उक्त जमीन के संबंध मे प्रार्थी के दादा को दिनांक 29.01.1983 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस के बाद पुराने कब्जे को नियमित करते हुए दिनांक 28.05.1984 को पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टा सही व वैध है, जिसके संबंध मे योग्य न्यायालय तहसीलदार द्वारा विचार नही किया गया है। पट्टा दिनांक 28.05.1984 प्रार्थी के दादा के हक मे जारी किया गया था जो करीब 36 वर्ष पुराना है, जिसमे प्रार्थी के दादा के समय से पुख्ता मकान बने हुए है, बिजली, पानी व टेलीफोन के कनेक्शन है व प्रार्थी अपने बाल बच्चों सहित निवास करता है। जोहड़ की जमीन राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत पंचायत को आबादी विस्तार हेतु अलॉट की गई थी जिसके तहत प्रार्थी को भी दिनांक 20.11.2009 को आबादी भूमि का पट्टा 326.66 वर्गगज का जारी किया गया है। उक्त पट्टे का रजिस्ट्रेशन भी दिनांक 23.12.2009 को हुआ है। इस प्रकार जोहड की जमीन आबादी विस्तार हेतु अलॉट की गई है जिसमे वर्तमान मे जोहड की कोई जमीन नही है बल्कि समस्त जमीन आबादी के रूप मे विकसित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे फाईडिंग दी है कि जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की पालना मे उक्त भूमि को दिनांक 15.08.1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय की उक्त फाइडिंग गलत है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार का मामला इस मामले मे लागू नही होता है क्योंकि उक्त जमीन आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को अलॉट की हुई है। अब्दुल रहमान बनाम सरकार का मामला विस्तार के लिए अलॉट की गई जमीन के मामले पर किसी प्रकार लागू नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पट्टे के संबंध मे जो जांच करवाई है उसकी जांच रिपोर्ट की नकल प्रार्थी को नही दी गई, ना ही हल्का पटवारी के बयान रिकार्ड किये गये, ना ही हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर दिया गया और ना ही प्रार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का मौका दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का हनन किया है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से अतिक्रमी नही है। आश्रम की जमीन के संबंध मे प्रार्थी को गलत रूप से नोटिस जारी किया गया है। आश्रम सार्वजनिक है जिसमे गांव के व्यक्तियों द्वारा पेड–पौधे लगाये गये है तथा दिव्यानन्द जी महाराज के नाम से सार्वजनिक हित मे आश्रम बनाया हुआ है जो सार्वजनिक हित के लिए है। उक्त आश्रम प्रार्थी की पट्टेशुदा जमीन से अलग है जिसके संबंध मे गलत रूप से नोटिस जारी किया गया है। आश्रम की जमीन व प्रार्थी के दादा व प्रार्थी की पट्टेशुदा जमीन को सम्मिलित करते हुए नोटिस जारी किया गया है जो गलत है। प्रार्थी के दादा को 1983 मे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया था। उक्त नोटिस ऑरिजनल प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त नोटिस के पश्चात् प्रार्थी के दादा के हक मे दिनांक 28.05.1984 को पट्टा जारी किया गया था, वह दिनांक 20.10.2009 को प्रार्थी के हक मे भी 326.66 वर्गगज जमीन का पट्टा जारी किया गया है, जो रजिस्टर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 गलत रूप से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस मे आश्रम की जमीन को अंकित करते हुए नोटिस दिया गया है जिसमे आश्रम की जमीन कितनी है व कितनी जमीन पर प्रार्थी का कब्जा है इस संबंध मे कोई उल्लेख नही किया गया है। जोहड की प्रकृति, नेचर, अलॉटमेन्ट पट्टो के संबंध मे माननीय न्यायालय तहसीलदार द्वारा कोई जांच नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे व निर्णय दिनांक 05.03.2020 को निरस्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम बसावा मे गैर मु0 जोहड़ा स्थित है, जिसका पुराना खसरा नं0 297/3 व नया खसरा नं0 1444/937 व अन्य है में अतिक्रमी माना है। उक्त जोहड़े मे स्कूल, शहीद स्मारक, हनुमान जी का मन्दिर तथा भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के पुख्ता मकान बने हुए है व जोहड़े मे आबादी बसी हुई है। विवादित भूमि प्रार्थी की पट्टेशुदा भूमि है। जांच रिपोर्ट के अनुसार पैरावार को तहसीलदार नवलगढ द्वारा जारी 28.05.2984 का पट्टा प्रस्तुत किया गया जो गैर कायल के दादा हनुमान पुत्र श्योजी जाति खाती निवासी बसावा के नाम से जारी किया गया है जिसमे 540 वर्गगज (452 वर्गमीटर) का अंकन है।उक्त भूमि मे प्रार्थी के पुख्ता मकान बने हुए है, बिजली, पानी व टेलीफोन के कनेक्शन है व प्रार्थी अपने बाल बच्चों सहित निवास करता है। अपीलार्थी अपने पट्टा शुदा भूमि का काबिज है। अदालत मातहत द्वारा निराधार तथ्यों पर आदेश पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय दिनांक 05.03.2020 को निरस्त किया जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A-4/3

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर जोहड की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने मकान व आश्रम बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण के अवलोकन से निम्न तथ्य उजागर हुये है यथा :–

1. अदालत मातहत ने अपीलार्थी को गैर मुमकीन जोहड़ भूमि खसरा नम्बर 1444/937 रकबा 0.6500 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टर पर अतिकमी माना है। जिसकी बाबत अपीलार्थी का तर्क यह है कि अपीलार्थी के दादा के नाम तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा दिनांक 28.05.1984 को पट्टा जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अपीलार्थी स्वयं के नाम दिनांक 20.10.2009 को पट्टा जारी किया है। उक्त पट्टे कमशः 540 वर्गगज व 326.66 वर्गगज के है परन्तु अतिक्रमित भूमि 0.25 हैक्टर है। इसकी बाबत अपीलार्थी ने कोई तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।
2. प्रकरण में अहम बिन्दु यह भी है कि उक्त विवादित आराजी भूमि खसरा नम्बर 1444/937 वर्तमान में गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। अपीलार्थी का गैर मुमकीन जोहड़ की भूमि पर कब्जा है, जिसे अपीलार्थी ने स्वीकार किया है। अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है तथा गैर मुमकीन जोहड़ के रूप में दर्ज होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है, जिसका वर्तमान में आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। साथ ही भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ होने से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के प्रावधान प्रकरण पर पूर्णतया लागु होते है। अदालत मातहत ने प्रकरण में विधिसम्मत् निर्णय पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत मय निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुंझुनूं
08/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू